न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 128 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार चौहटन	**बनाम**	1.हेमसिंह का.मु. रूपसिंह

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 129 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार चौहटन	**बनाम**	1.फतेहसिंह का.मु. भगवानसिंह का.मु. रेवतसिंह उर्फ भूटसिंह वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री धनराज जोशी रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 14.10.2019

दोनों अपीलों की विषय वस्तु एवं तथ्य समान होने से निर्णय की प्रति पृथक–पृथक अपील पत्रावली पर रखी जा रहीं है। प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना–पत्र एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना–पत्र का पेश जबाव पेश कर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार बताय है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के पारित होने के बाद अपीलकर्ता द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर बाड़मेर की न्यायालय में रेफरेन्स आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अस्वीकार करने पर अपीलकर्ता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस आवेदन पत्र में दिनांक 31.03.2017 को निर्णय पारित किया गया। जिसमें अगर उक्त निर्णय व डिक्री से आहत होने पर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की बात कही गई तथा उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के पश्चात अन्य सरकारी कार्यों में लगातार दो माह राजस्व अभियान व उसे बाद बाढ राहत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील पेश करने में जो विलंब हुआ है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है उसे क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार गुणावगुण के आधार निर्णय फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटस को दिनांक 10.01.1972 को खातेदारी घोषित की गई। जिला कलक्टर को रेफरेन्स पेश किया उसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी क्या? वर्ष 1993 में रेफरेन्स पेश किया जो खारिज किया गया। वादग्रस्त आराजी को लेकर सीलींग का प्रकरण संख्या 55/2001 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2002 में रेस्पोडेंट की खातेदारी स्वीकार की जिसमें कुछ भूमि अधिग्रहण की उसकी भी अपील की थी जो स्वीकार हुई। जिला कलक्टर द्वारा रेफरेंस में पारित निर्णय के विरूद्ध रिवीजन व अपील नहीं की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 221 के तहत सीधे राजस्व मण्डल को पेश किया गया जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट को नहीं दी गई। अपीलांट ने अपने आवेदन में यह कहीं पर भी नहीं दर्शाया है कि उसे 45 वर्षों तक आलोच्य आदेश का ज्ञान कैसे नहीं हुआ? जबकि कानूनन अपीलांट को प्रत्येक दिन के विलम्ब का संतोषजनक जबाव दिया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा 45 वर्षों बाद मात्र रेस्पोडेंट को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से अपीलाधीन निर्णय का पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी अपील 45 वर्षों के अकारण सुदीर्घ विलम्ब से पेश की गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RBJ 2013(20) Page 342
AIR 1998 SC Page 2276
RBJ 2016(23) Page 226
RBJ 2019(26) Page 184
DNJ 2014 (SC) Page 467
DNJ 2014(3) (Raj.) Page 1132
RBJ 2016 Page 572
RBJ 2015(22) Page 681
RRT 2018(2) Page 1154
RRT 2018(2) Page 879

अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से लिमिटेशन के आधार पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को आवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साबित करते है कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी अपील पेश करने से पूर्व भी थी। रेस्पोडेंटस को खातेदारी घोषणा दिनांक 10.01.1972 के बाद अपीलांट द्वारा वर्ष 1993 में रेफरेन्स पेश किया गया। अपीलाधीन आराजी को लेकर सीलींग प्रकरण संख्या 55/2001 भी चला जिसकी जानकारी अपीलांट को थी। रेस्पोडेंटस का वक्त खातेदारी घोषणा से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लगातार कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपीलें तकरीबन 45 वर्षों बाद पेश की गई तथा विलम्ब के लिए अपीलांट पक्ष के द्वारा बताये कारण इसके शमन के लिए पर्याप्त एवं समुचित नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा माननीय राजस्थार उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत RBJ 2016(23) Page 226 (Condonation of delay of 2344 days in filing of appeal. A total inaction or indolence on the part of a litigant cannot persuade a court to exercise its discretion to condone the delay in favour of a litigant. If such liberal approach is adopted by the law courts, then it may render law of limitation nugatory and otiose, eventually putting premium over the total inaction and dormancy of a litigant for his legal rights. Delay cannot be condoned.)

DNJ 2014(3)(Raj.) Page 1132 (अपील पेश करने में 133 दिनों का विलम्ब–कारण बताया कि मामला विभिन्न स्तरों पर पर परिक्षित किया गया–अपीलांट द्वारा स्टैण्डर्ड कारण अंगीकार किया गया–विलम्ब माफ करने हेतु मामला नहीं बनता–निर्णीत, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है।) लिहाजा अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने लायक है।

अतः अपीलांट की अपीलें मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या क्रमशः 69/1971, 68/1971 बअनवान हेमसिंह बनाम सरकार, फतेहसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.1972 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner